न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/1369/2006/दौसा

1– भीखालाल पुत्र लल्लूराम जाति महाजन निवासी सिकराय जिला दौसा।

..... अपीलांट

बनाम

1– कंचन,
2– खिलारी,
3– लल्लू पिसरान ग्यारसा जाति मीना निवासी पुरानी पट्टी सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा।
4– राजस्थान राज्य सरकार (लैण्ड होल्डर) जरिये तहसीलदार तहसील सिकराय।

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री समीर अहमद, अधिवक्ता अपीलांट।
(2) श्री वैभव पारीक, अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 ल0 3

निर्णय

दिनांक :19–9–2019

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04–02–2006 अपील सं0 49/2005 बउनवान कंचन बनाम भीखा के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी भीखालाल ने परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिकराय के न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम सिकराय में आराजी ख0 नं0 1034 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 1887 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, 1944 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा स्थित है जिसकी पूर्व खातेदारी मोहनलाल वल्द गिरधारी कौम मीना निवासी सिकराय राहिन रामजीलाल वल्द नारायण कौम महाजन सा0देह मूर्तहीन दर्ज रेकार्ड थी जिसमें मुर्तहीन वादी के पूर्वज

थे तथा वर्तमान में भी वादी मूर्तहीन स्वयं राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। राजस्व रेकार्ड में खातेदार मोहनलाल पुत्र गिरधारी मीना राहिन दर्ज था किन्तु कालान्तर में राजस्व रेकार्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा राहीन मोहनलाल पुत्र गिरधारी के स्थान पर मोहनलाल पुत्र बल्देवा दर्ज कर दिया गया जो गलत है एवं दुरूस्ती काबिल है। उक्त इन्द्राज बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश व बिना किसी विक्रय प्रलेख के दर्ज किया गया है। अतः वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया जो बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये, इसलिए एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर दिनांक 22-6-2005 को वादी का वाद स्वीकार कर लिया जिसकी प्रथम अपील अपीलार्थीगण ने अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 4-2-2006 से स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त कर दी जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 4-2-2006 से व्यथित होकर अपीलांट भीखालाल ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3- दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी गयी।

4- विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील के मीमों में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि परीक्षण न्यायालय द्धारा रेस्पो0 सं0 1 ल0 3 की विधिवत् तामील होने के बावजूद उनके हाजिर न आने पर बाद गौर रेकार्ड विधिवत् निर्णय पारित किया था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध रेकार्ड से यह भली-भांति साबित था कि उक्त भूमि मोहनलाल पुत्र गिरधारी के नाम खातेदारी की थी और उक्त मोहनलाल पुत्र गिरधारी द्वारा अपीलांट के बुजुर्गो को रहन रखना बखूबी सिद्व था। रेकार्ड में रहन दर्ज था। रेस्पो0 सं0 1 ल0 3 का उक्त भूमि से कोई ताल्लुक व वास्ता सिद्व नहीं था। मोहनलाल पुत्र गिरधारी के स्थान पर मोहनलाल पुत्र बलदेवा राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत अंकित करना सिद्व था। रेस्पो0 सं0 1 ल0 3 मोहनलाल पुत्र बलदेवा के वारिस सिद्व थे। अपीलांट रामजीलाल पुत्र नारायण का वारिस बखूबी सिद्व था। रेस्पो0 नं0 1 ल0 3 ने अपीलांट को रामजीलाल पुत्र नारायण का वारिस माना था। रेकार्ड में अपीलांट का नाम दर्ज था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने गलत आधारों पर अपीलांट को रामजीलाल पुत्र नारायण का वारिस न मानकर निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनी गलती

की है। अपीलांट व उनके बुजुर्ग उक्त भूमि पर लम्बे समय से रहन दर्ज थे। अपीलांट का लम्बे समय से कब्जा है। रेस्पो0 सं0 1 ल0 3 ने रहन से बागुजास्ती के संबंध में कोई प्रकरण भी पेश नहीं किया था। अपीलांट उक्त भूमि पर मूर्तहीन दर्ज होने एवं अपीलांट का मौके पर कब्जा होने के कारण अपीलांट का उक्त भूमि में हित निहित था। अतः अपील मंजूर की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावें।

5- विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस में अपीलांट द्वारा किये गये कथनों को अस्वीकार करते हुए कहा कि अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिसम्मत एवं कानूनी परिप्रेक्ष्य में निर्णय पारित किया है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज करते हुए अपीलीय न्यायालय के निर्णय को बहाल रखा जावें। उन्होंने अपने कथन की ताईद में 2010 आर0आर0टी0 पेज 687, 2011 आर0आर0टी0 पेज 461, 2014 आर0एल0डब्ल्यू0 पेज 284, 2008 आर0आर0टी0 पेज 1227, 2003 आर0आर0डी0 पेज 423, 2010 आर0आर0डी0 पेज 105, 1993 आर0आर0डी0 पेज 46, 2017 डी0एन0जे0 पेज 871, 1989 आर0आर0डी0 पेज 527, 1992 आर0आर0डी0 पेज 114, 2012 आर0आर0डी0 पेज 397, 2008 आर0आर0डी0 पेज 567, 2009 आर0आर0डी0 पेज 417, सैक्शन 43, 2006 डब्ल्यू0एल0सी0 पेज 335, 2006 आर0बी0जे0 पेज 324, 2012 आर0बी0जे0 पेज 163, 2007 आर0आर0उी0 पेज 213 व 1981 आर0आर0डी0 पेज 204 के उद्धरण प्रस्तुत किये गये।

6- हमने विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। राजस्व रिकार्ड व दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय का अवलोकन किया ।

7- प्रश्नगत अपील में परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22-6-2005 में माना कि राजस्व रेकार्ड में मोहनलाल वल्द बलदेवा का नाम गलत दर्ज होने से दुरूस्ती काबिज है। मोहनलाल वल्द बलदेवा जो दूसरा व्यक्ति है, उक्त आराजी का खातेदार नहीं है तथा उक्त आराजी से इसका कोई अधिकार व सरोकार नहीं है जो पूर्व में ही फौत हो जाने पर तथा विरासत का नामान्तकरण वादी के खाते में दर्ज कर दिया है। इस भूमि से प्रतिवादीगण 1 ल0 3 व उनके बुजुर्गान का कोइ लेना देना नहीं है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04-02-2006 में अंकित किया है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय

में कोई मंतव्य प्रकट नहीं किया तथा सरसरी तौर पर दावा डिक्री किया है, जो अनुचित है। वादी का दावा चलने योग्य नहीं है। अपील सारयुक्त होने से स्वीकार योग्य है।

8– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि नकल खतौनी बन्दोबस्त मौजा सिकराय तहसील सिकराय निजामत दौसा सम्वत् 2003–2022 में नाम खातेदार के कॉलम में मोहनलाल वल्द गिरधारी कौम मीना राहिन रामजीलाल वल्द नारायण कौम महाजन सा0देह मुर्तहीन दर्ज है। आराजी ख0 नं0 1034 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 1886 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा तथा आराजी ख0 नं0 1944 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा है। जमाबन्दी सम्वत् 2015 में मोहनलाल वल्द बलदेव कौम मीना राहिन भीकालाल वल्द लल्लूराम कौम महाजन मुतर्हन आराजी ख0 नं0 1034 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा झणली मीना गनीपुर आराजी ख0 नं0 1944 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा तथा जाहिरा वल्द बीरबल मीना आराजी ख0 नं0 1886 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2048 से 2051 में मोहनलाल पुत्र बलदेवा मीना राहिन भीखालाल पुत्र लल्लूराम महाजन सा0देह मुर्तहीन दर्ज है जिसमें आराजी ख0 नं0 1034, 1886 तथा 1944 दर्ज है। नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2056 से 2059 में कंचन, खिलाड़ी, लल्लू पिता ग्यारसा मीना राहिन भीखालाल पुत्र लल्लूराम महाजन मुर्तहीन दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2003–22 को भी आधार माना जाये तो भी रहन स्वतः बागुजास्त हो चुका है और रहन बतौर रामजीलाल का भूमि में कोई हित निहित नहीं रह गया है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2015–20 के अनुसार वादी का अंकन बतौर मूर्तहीन होना सही माना जावें तो भी उनका कोई अधिकार नहीं रह गया क्योंकि हर सूरत में भूमि रहन से बागुजास्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में मूर्तहीन को कोई अधिकार नहीं है कि वह वादी के नाम किसी प्रकार के अंकन में परिवर्तन के बारे में कोई दावा प्रस्तुत कर उसमें कोई संशोधन करा सकें। इसलिए हमारी विनम्र राय में विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय उचित एवं कानून सम्मत नहीं है तथा विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

9– अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्धान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा के निर्णय व डिक्री दिनांक

04–2–2006 यथावत रखते हुए उपखण्ड अधिकारी, सिकराय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22–6–2005 अपास्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य